उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-68/2015/2020 /62-2-2015-2/4(15)/2015
लखनऊ: दिनांक: 27 मई,2015

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अभिराम प्रसाद वर्मा, अधिशासी अभियंता, सम्बद्ध कार्यालय मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को शासकीय हित में लघु सिंचाई खण्ड, गोण्डा में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- श्री अभिराम प्रसाद वर्मा, अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर लें।

ह0/
भरत लाल राय,
विशेष सचिव।

सं0-68/2015/2020(1)/62-2-2015,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी।
4- संबंधित अधीक्षण अभियंता,लघु सिंचाई वृत्त।
5- संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।